याचिका क्र. 54/07

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

श्री पवन जैन,
विदिशा (म.प्र.) – आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड,
विदिशा. – अनावेदकगण

: आदेश :

(29 अक्टूबर, 2007)

विषय : विद्युत शिकायत निवारण फोरम भोपाल के आदेश दिनांक 05.06.06 का पालन नहीं करने के संबंध में नोटिस दिनांक 24.09.07 का उत्तर ।

याचिकाकर्ता की ओर से श्री पवन जैन, विदिशा उपस्थित तथा मण्डल की ओर से अधीक्षण यंत्री, मप्रमक्षेविविकलि, विदिशा उपस्थित ।

विद्युत लोकपाल के सलाहकार की ओर से टीप प्राप्त, जिसमें यह उल्लेख है कि आवेदक श्री पवन जैन, विदिशा द्वारा कार्यालय में यह आवेदन प्रस्तुत किया है कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के आदेश दिनांक 5.6.06 का अभी तक अनावेदक द्वारा पालन नहीं किया गया है । फोरम के उक्त आदेश में नवम्बर 1998 से मई 2003 की अवधि में अनावेदक द्वारा 2,594 (रू. 7,516) यूनिट का अधिक विद्युत खपत का उसे बिलींग किया गया । फोरम के उक्त आदेश में यह निर्णय दिया गया था कि अनावेदक द्वारा आवेदक को 2594 यूनिट की गलत बिलिंग की गई थी, जिसके लिये अनावेदक द्वारा आवेदक को रू. 7,516 रू. मय 7 प्रतिशत ब्याज के आदेश पारित होने के 3 माह के अन्दर रिफण्ड करना होगा । उक्त गलत बिलिंग नबंवर, 1998 में मई 2003 की अवधि से संबंधित है । किन्तु अनावेदक द्वारा अभी तक आदेश का पालन नहीं करने के कारण आवेदक ने यह मांग की है कि अनावेदक पर धारा 140 के अन्तर्गत पैनल्टी आरोपित की जावे । विद्युत सलाहकार ने आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रकरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया ।

2. आयोग द्वारा अनावेदक को आदेश का पालन नहीं करने के कारण 10,000 रू. की पैनल्टी क्यों न आरोपित की जावे, इस बाबत् नोटिस जारी किया तथा इसका उत्तर दिनांक 29.10.07 को प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया गया ।

3. प्रकरण आज सुनवाई हेतु आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुआ । अनावेदक ने अपने उत्तर में यह बताया कि चूंकि इस प्रकरण में नगद भुगतान किया जाना है तथा उसकी स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब हुआ तथा

फोरम का आदेश भी अनावेदक को काफी विलंब से 12 जनवरी, 2007 को प्राप्त हुआ । अनावेदक ने 7 प्रतिशत ब्याज सहित 9,840/– रू. का भुगतान आवेदक को करने हेतु दिनांक 15.10.07 को रजिस्टर्ड नोटिस द्वारा सूचित किया था । किन्तु आवेदक द्वारा अभी तक भुगतान प्राप्त नहीं किया गया है । फोरम के आदेश अनुसार अनावेदक द्वारा 7 प्रतिशत ब्याज की गणना मई, 2003 से मई, 2007 की अवधि तक रू. 2,324/– की गणना की है । चूंकि आवेदक ने अपनी सुनवाई के दौरान यह बताया है कि उसे नवम्बर, 1998 से मई, 2003 तक 9 प्रतिशत ब्याज की मांग की थी । इस कारण उसने अभी तक उक्त राशि स्वीकार नहीं की है ।

4. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आयोग द्वारा आवेदक को यह परामर्श दिया गया है कि वह अनावेदक द्वारा दी जाने वाली राशि को अण्डर प्रोटेस्ट स्वीकार कर सकता है तथा यदि फोरम के आदेश से वह संतुष्ट नहीं है तो वह विद्युत लोकपाल के समक्ष इस आदेश के प्राप्त होने के एक माह के अन्दर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा । आयोग द्वारा अनावेदक द्वारा आदेश के पालन में किये गये विलंब हेतु भी अनावेदक के प्रति नाराजगी व्यक्त की । अनावेदक के स्पष्टीकरण के आधार पर आयोग द्वारा पैनल्टी आरोपित नहीं की जाती है किन्तु अनावेदक को यह निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में आदेश के पालन में अनावश्यक विलंब होने की स्थिति में पैनल्टी आरोपित की जावेगी । विद्युत लोकपाल स्वयं भी यह सुनिश्चित करें कि आदेश का पालन फोरम के आदेशानुसार हुआ है अथवा नहीं ।

इस निर्देश के साथ ही प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

उपरोक्त अनुसार आदेश पारित ।

(आर. नटराजन)
सदस्य (इकॉनामिक)

(डी. रायबर्धन)
सदस्य (अभि.)